भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी0ए0 मिस वाद सं0-80B/2017-18

1. आशुतोष महतो 2. परितोष कुमार महतो **बनाम** प्रमथोनाथ महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
6.9.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक 1712 दिनांक 29.07.17 द्वारा टी0ए0 मिस वाद सं0-80B/2017-18 का जाँच एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। विक्रेता 1. आशुतोष महतो 2. परितोष कुमार महतो पिता स्व0 विनोद महतो, ग्राम-छोटा गम्हरिया, थाना-गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पिता के एकरारनामा पूरा करने हेतु क्रेता श्री प्रमथोनाथ महतो, पिता श्री कालीचरण महतो, ग्राम-मांगुडीह, थाना-कुचाई, जिला-सरायकेला- खरसावाँ को निम्नांकित भूमि बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) के अन्तर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये है। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र समर्पित किये है। विक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :- **मौजा** / **थाना नं0** / **खाता नं0** / **खेसरा नं0** / **रकवा** छोटागम्हरिया / 67 / 82 / 116/A / 0.04½ न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं किया है। अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए भूमि बिक्री करने का अनुशंसा की गई है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है कि आवेदक खतियानी एवं पंजी-II रैयत के पुत्र है एवं अपने हिस्से की भूमि के दखलकार है। मौजा-छोटा गम्हरिया, थाना नं0-67, खाता नं0-82,83 तथा मौजा हुदू, थाना नं0-41, खाता नं0-64, 111/A, रकवा 6.35.47ए0, 0.71 तथा 2.16ए0, 0.65ए0 कुल रकवा 9.87.47 एकड़ भूमि में से 0.04.5 एकड़ भूमि बिक्री के पश्चात् आवेदक के हिस्से में 1.54.3 एकड़, 0.71 ए0 तथा 2.16 एकड़, 0.65 एकड़ कुल 5.06.3 एकड़ भूमि शेष बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति(कुर्मी) एवं जिला के हैं। उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, गम्हरिया के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.04½ एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है। 6/9/17 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला।	